

न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, बेरमो (तेनुधाटे)।

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1),(क)/(ख)के अंतर्गत

परमिशन वाद सं० 146 वर्ष 2024

आवेदक- मधुसुदन महतो

क्रेता- गुडीया देवी

ग्राम- भवानीपुर

टोला-

ग्राम-लोधकियारी

टोला-

थाना- कसमार

जिला-बोकारो

थाना- कसमार

जिला-बोकारो

आदेश की क्र० सं०
तारीख
01

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

02

आदेश पर की
कार्रवाई के बारे
दिष्पणी तारीख
03

18/9/24

आदेश

यह वाद आवेदक- मधुसुदन महतो पिता-स्व० लखीराम महतो ग्राम- भवानीपुर थाना- कसमार जिला-बोकारो के द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)/(ख) के अंतर्गत निम्नांकित जमीन, विवरणी निम्नवत:-

मौजा	थाना न०	खाता न०	प्लॉट सं०	कुल रकबा	बिक्री रकबा	भूमि दर्जा
लोधकियारी	128	01	251	31 ए०	0.10 1/3 ए०	टांड

को वे आवश्यक कार्य हेतु मो 45,000/- (पैंतालीस हजार) रुपये में क्रेता-गुडीया देवी पति -रवि महतो ग्राम- लोधकियारी थाना- कसमार जिला-बोकारो के साथ बिक्री करने की अनुमति हेतु समर्पित आवेदन के आधार पर आरम्भ किया गया तथा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1),(ख) के तहत आवेदन पत्र को पंजीकृत करते हुए आम सूचना निर्गत की गई, तथा इस कार्यलय के पत्रांक 835/रा०, दिनांक 25.07.2024 के माध्यम से अंचल अधिकारी कसमार से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई।

निर्धारित अवधि तक किसी के द्वारा प्रस्तावित भूमि की अनुमति प्रस्ताव के विरुद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। प्रस्तावित भूमि की बिक्री अनुमति के संबंध में अंचल अधिकारी कसमार के पत्रांक 555, दिनांक-06.09.2024 से वांछित जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि:-

01. बिक्रेता एवं क्रेता दोनों कुर्मी(महतो) जाति के सदस्य हैं जो पिछड़ा वर्ग जाति के अंतर्गत आते हैं। बिक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही जिला-बोकारो के निवासी हैं। बिक्री की जाने वाली भूमि का सर्वे खतियान में अकलू महतो वर्ग० के नाम से दर्ज है तथा पंजी-11 में जमाबंदी बिक्रेता के परदादा से पृष्ठ सं० 58 भोलुम 111 में दर्ज है एवं लगान रसीद वर्ष-2024-25 तक निर्गत है। जमाबंदी कायम होने का आधार खतियान है।
02. खतियानधारी रैयत से बिक्रेता का संबंध परदादा का है। बिक्री की जाने वाली भूमि बिक्रेता के हक व हिस्से के अंतर्गत आता है एवं बिक्रेता का दखल कब्जा में है।
03. प्रस्तावित भूमि भू-हदबन्दी, भूदान, सैरात, वन भूमि, सी०सी०एल० अधिग्रहित क्षेत्र से बाहर है।

उनके द्वारा बिक्रेता को प्रस्तावित भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा के साथ प्रतिवेदन को अग्रसारित किया गया है।

दोनों पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए। दोनों पक्षों का ब्यान दर्ज किया गया। बिक्रेता द्वारा अपने ब्यान में बतलाया गया है कि आवेदनांकित जमीन सर्वे खतियान में अकलू महतो वर्ग० के नाम से दर्ज है तथा पंजी-सस पृष्ठ सं० 58 भोलुम 111 में जमाबंदी कायम है एवं लगान रसीद वर्ष-2024-25 तक निर्गत है। बिक्री वाली जमीन उसके हक हिस्से की है जिसे वे आवश्यकता वश बेच रहे हैं।

क्रेता का कहना है कि उन्होंने प्रस्तावित जमीन का देखा है। उक्त जमीन कोई विवाद नहीं है, तथा वर्तमान में आवेदक के शांति पूर्ण दखल कब्जे में है।

उभय पक्ष अपने पक्ष निम्नांकित कागजात/दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं:-

01. बिक्रेता- खतियान की छायाप्रति है। लगान रसीद का छायाप्रति, आवासीय प्रमाण की छायाप्रति, जाति प्रमाण की छायाप्रति एवं स्वयं के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति ।

02. क्रेता- आवासीय प्रमाण की छायाप्रति, जाति प्रमाण की छायाप्रति एवं स्वयं के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति ।

दोनों पक्षों का बयान सुनने, उनके द्वारा समर्पित कागजातों एवं अंचल अधिकारी नक्काही से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि बिक्रेता एवं क्रेता दोनों कुर्मी जाति के सदस्य हैं जो पिछड़ा वर्ग जाति के अंतर्गत आते हैं। बिक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही जिलान्तर्गत निवासी हैं। आवेदित भूमि बिक्रेता के हिस्से की जमीन है, जो खतियान के आधार पर हासिल है जिसे वे आवश्यकता वश बेचना चाहते हैं।

अतः आवेदक-मधुसुदन महता पिता-स्व० लखीराम महतो ग्राम- भवानीपुर थाना- कसमार जिला-बोकारो को निम्नांकित भूमि:-

मौजा	खाता न०	प्लॉट सं०	कुल रकबा	बिक्री रकबा	उ० सीमा	द० सीमा	पूरब सीमा	पश्चिम सीमा
लोधकियारी 128	01	251	0.31 ए०	0.10 1/3 ए०	विकास महतो	परती	दुर्गा महतो	बाबुराम मांझी
कुल				10 $\frac{1}{3}$ डी०				

मो० 45,000/- (पैंतालीस हजार) रूपय या जिला अवर निबंधक बोकारो द्वारा निर्धारित नवीनतम भूमि मूल्यांकित राशि में जो अधिक हो, की दर से क्रेता- गुडिया देवी पति -रवि महतो ग्राम- लोधकियारी थाना- कसमार जिला-बोकारो के साथ बिक्री करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

इसके साथ ही इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। इस आदेश से उभय पक्षों को अवगत करावे।

लेखापित एवं संशोधित।

18.9.24
भूमि सुधार उपसमाहर्ता
बेरमो (तेनुघाट)।

18.9.24
भूमि सुधार उपसमाहर्ता
बेरमो (तेनुघाट)।

10/10/24